



सप्तदश बिहार विधान सभा

चतुर्दश सत्र

ध्यानाकर्षण सूचना

निम्नलिखित ध्यानाकर्षण सूचना बिहार विधान सभा की प्रक्रिया तथा कार्य संचालन नियमावली के नियम-104(3) के अन्तर्गत दिनांक-11.03.2025 के लिए माननीय अध्यक्ष महोदय द्वारा स्वीकृत की गयी है।

क्र० सं०	सदस्य का नाम	विषय	विभाग
1	2	3	4

- श्री कुंदन कुमार,
स०वि०स०
श्री मुरारी मोहन झा,
स०वि०स०
श्री सुर्यकान्त पासवान,
स०वि०स
श्री शंकर सिंह,
स०वि०स

“बिहार राज्य के समग्र एवं समावेशी विकास की प्रतिबद्धता के मद्देनजर बेगूसराय जिला में ग्रीन फील्ड एयरपोर्ट की अत्यंत आवश्यकता है। बेगूसराय बिहार राज्य का एक महत्वपूर्ण औद्योगिक, व्यापारिक और सांस्कृतिक केन्द्र है, जहाँ बरौनी रिफाइनरी, पेप्सी प्लांट, सुधा डेयरी, HURL, थर्मल पावर प्लांट और अन्य बड़े उद्योग स्थापित हैं। साथ ही पर्यटन के दृष्टिकोण से समरिया धाम जैसे धार्मिक स्थल हैं, जहाँ देश एवं विदेश के पर्यटक आते हैं। बेगूसराय औद्योगिक क्षेत्र होने के नाते देश के विभिन्न राज्यों के लोग आवासित हैं, जिनकी संख्या काफी अधिक है। बेगूसराय में ग्रीन फील्ड एयरपोर्ट के संचालन से राजगार के अवसर, पर्यटन को बढ़ावा, आर्थिक विकास में सहायता, आपदा प्रबंधन क्षेत्रों में काफी लाभ होगा तथा व्यापारिक और औद्योगिक गतिविधियों को नई दिशा प्रदान करेगा। बेगूसराय जिला में ग्रीन फील्ड एयरपोर्ट के निर्माण हेतु आवश्यक बुनियादी ढांचा सहित पर्याप्त भूमि उपलब्ध है।

अतः राज्यवासियों के हित में औद्योगिक जिला एवं बुनियादी ढांचा सहित पर्याप्त भूमि को उपलब्धता के मद्देनजर बेगूसराय में ग्रीन फील्ड एयरपोर्ट की स्थापना किये जाने हेतु हम सदन के माध्यम से सरकार का ध्यान आकृष्ट कराते हैं।”

(नागरिक
विमानन),
मंत्रिमंडल
सचिवालय

क्र० सं०	सदस्य का नाम	विषय	विभाग
1	2	3	4

2. श्री संतोष कुमार मिश्र,
संवि०स०
श्रीमती नीतु कुमारी,
संवि०स०
श्री आनन्द शंकर सिंह,
संवि०स
श्री मो० आफाक आलम,
संवि०स

"राज्य के सभी चिकित्सीय संस्थानों एवं अस्पतालों में फार्मैसी एक 1948 की धारा 42 के तहत दवा का रख-रखाव एवं वितरण डिप्लोमा फार्मासिस्ट से कराया जाना है, परन्तु राज्य में मात्र 600 ही कार्यरत फार्मासिस्ट हैं। अस्पतालों में पद रिक्त रहने के कारण मरीजों के स्वास्थ्य पर प्रतिकूल प्रभाव पड़ता है। माननीय उच्च न्यायालय द्वारा वाद सं०-C.W.J.C. NO-7394/2018 में पारित न्यायादेश में सरकार को स्पष्ट आदेश दिया गया है कि लोक सभा चुनाव खत्म होने के तीन माह के अन्दर नया विज्ञापन प्रकाशित कर नियमित नियुक्ति की प्रक्रिया पूर्ण की जाय, परन्तु अबतक फार्मासिस्ट पद का विज्ञापन प्रकाशित नहीं हुआ है।

स्वास्थ्य

अतः माननीय उच्च न्यायालय द्वारा पारित उक्त न्यायादेश के आलोक में राज्य के सभी चिकित्सीय संस्थानों एवं अस्पतालों के रिक्त पदों पर विज्ञापन प्रकाशित कर फार्मासिस्टों की नियमित नियुक्ति किये जाने हेतु हम सदन के माध्यम से सरकार का ध्यान आकृष्ट कराते हैं।"

ख्याति सिंह

प्रभारी सचिव,

बिहार विधान सभा, पटना।

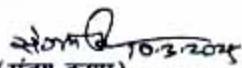
ज्ञाप सं०-ध्या०प्र०-07/25-

163

/वि०स०, पटना, दिनांक-

10 मार्च, 2025 ई०।

प्रति:- माननीय सदस्यगण, बिहार विधान सभा के सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।


(संजय कुमार)

अवर सचिव,

बिहार विधान सभा, पटना।

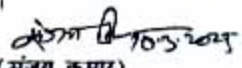
ज्ञाप सं०-ध्या०प्र०-07/25-

163

/वि०स०, पटना, दिनांक-

10 मार्च, 2025 ई०।

प्रति:- माननीय मुख्यमंत्री के आप्त सचिव / माननीय उप मुख्यमंत्रीगण के आप्त सचिव एवं माननीय मंत्रीगण के आप्त सचिव को
क्रमशः माननीय मुख्यमंत्री, माननीय उप मुख्यमंत्रीगण एवं मंत्रीगण के सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।


(संजय कुमार)

अवर सचिव,

बिहार विधान सभा, पटना।

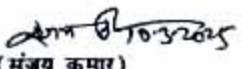
ज्ञाप सं०-ध्या०प्र०-07/25-

163

/वि०स०, पटना, दिनांक-

10 मार्च, 2025 ई०।

प्रति:- मुख्य सचिव, बिहार / महाप्रहरी राज्यपाल के प्रधान सचिव, बिहार / सचिव, बिहार विधान परिषद् / महाधिवक्ता, बिहार, पटना उच्च न्यायालय / संसदीय कार्य विभाग / (नागरिक विमानन), मंत्रिमंडल सचिवालय विभाग एवं स्वास्थ्य विभाग को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।


(संजय कुमार)

अवर सचिव,

बिहार विधान सभा, पटना।

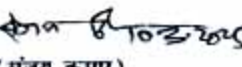
ज्ञाप सं०-ध्या०प्र०-07/25-

163

/वि०स०, पटना, दिनांक-

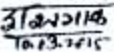
10 मार्च, 2025 ई०।

प्रति:- माननीय अध्यक्ष महोदय के आप्त सचिव / माननीय उपाध्यक्ष महोदय के आप्त सचिव / प्रभारी सचिव के प्रधान आप्त सचिव को क्रमशः माननीय अध्यक्ष महोदय, माननीय उपाध्यक्ष महोदय एवं प्रभारी सचिव बिहार विधान सभा के सूचनार्थ प्रेषित।


(संजय कुमार)

अवर सचिव,

बिहार विधान सभा, पटना।


10/3/2025